



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 जनवरी 2015—पौष 24, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. 2-1-2015-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जावेगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 31-क में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3-क) अध्यर्थी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्ररूप में, पंचायत द्वारा जारी “अदेय प्रमाण-पत्र” की एक प्रति भी नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा。”;

(2) नियम 81 में, उप-नियम (1) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 20” के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 20 या प्ररूप 20-क” स्थापित किए जाएं और शब्द तथा अंक “प्ररूप 16” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 16 या प्ररूप 16-क” स्थापित किए जाएं;

- (दो) खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 21” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 21 या प्ररूप 21-क” स्थापित किए जाएं और शब्द तथा अंक “प्ररूप 17” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 17 या प्ररूप 17-क” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) खण्ड (ग) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 22” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 22 या प्ररूप 22-क” स्थापित किए जाएं और शब्द तथा अंक “प्ररूप 18” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 18 या प्ररूप 18-क” स्थापित किए जाएं;
- (चार) खण्ड (घ) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 23” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 23 या प्ररूप 23-क” स्थापित किए जाएं और शब्द तथा अंक “प्ररूप 19” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 19 या प्ररूप 19-क” स्थापित किए जाएं;
- (3) नियम 82 में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 20, 21, 22 या 23” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 20 या 20-क, 21 या 21-क, 22 या 22-क या 23 या 23-क” स्थापित किए जाएं.
- (4) नियम 84 में,—
- (एक) उप नियम (1) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 16, 17, 18 या 19” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 16 या 16-क, 17 या 17-क, 18 या 18-क या 19 या 19-क” स्थापित किए जाएं और शब्द तथा अंक “प्ररूप 20, 21, 22, या 23” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 20 या 20-क, 21 या 21-क, 22 या 22-क या 23 या 23-क” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उप नियम (2) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 20, 21, 22 या 23” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 20 या 20-क, 21 या 21-क, 22 या 22-क या 23 या 23-क” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
- “(3) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट कोई भी बात, जिला निर्वाचन अधिकारी को गिने जा चुके मतपत्रों के किसी लिफाफे को खोलने या मतों की पुनर्गणना करने या डिटेक्चेबल मेमोरी माइयूल (डी. एम. एम.) से मतों की पुनर्गणना करने का निर्देश देने की कोई शक्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं करेगी.”.
- (5) नियम 86 में, शब्द तथा अंक “नियम 67 तथा 68” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “नियम 67, 72-त, 68 और 72-द” स्थापित किए जाएं.
- (6) नियम 88 में, शब्द तथा अंक “नियम 87” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “नियम 87 और 72-द” स्थापित किए जाएं.
- (7) प्ररूप 16 क में, सारणी के नीचे,—
- (एक) मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—
- “(क) अन्डर वोटों की संख्या.”.
- (दो) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—
- “(ख) अनफिनिशड मतदाताओं की संख्या.”.
- (8) प्ररूप 17 क में, सारणी के नीचे,—
- (एक) मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—
- “(क) अन्डर वोटों की संख्या.”.
- (दो) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—
- “(ख) अनफिनिशड मतदाताओं की संख्या.”.

(9) प्ररूप 18 क में, सारणी के नीचे,—

(एक) मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(क) अन्दर बोटों की संख्या.”.

(दो) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(ख) अनफिनिशड मतदाताओं की संख्या.”.

(10) प्ररूप 19 क में, सारणी के नीचे,—

(एक) मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(क) अन्दर बोटों की संख्या.”.

(दो) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(ख) अनफिनिशड मतदाताओं की संख्या.”.

No. 2-1-2015-XXII-P.-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of section 95 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the period specified above shall be considered by the State Government.

#### **DRAFT OF AMENDMENT**

In the said rules,-

(1) in rule 31-A, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3-a) The Candidate shall also submit a copy of “No dues Certificate” issued by the Panchayat in the form prescribed by the State Election Commission along with the nomination paper”;

(2) in rule 81, in sub-rule (1), -

(i) in clause (a), for the word and figure “Form 20”, the words, figures and letter “Form 20 or Form 20-A” shall be substituted and for the word and figure “Form 16”, the words, figures and letter “Form 16 or Form 16-A” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the word and figure “Form 21”, the words, figures and letter “Form 21 or Form 21-A” shall be substituted and for the word and figure “Form 17”, the words, figures and letter “Form 17 or Form 17-A” shall be substituted;

(iii) In clause (c), for the word and figure “Form 22”, the words, figures and letter “Form 22 or Form 22-A” shall be substituted and for the word and figure “Form 18”, the words, figures and letter “Form 18 or Form 18-A” shall be substituted;

(iv) In clause (d), for the word and figure “Form 23”, the words, figure and letter “Form 23 or Form 23-A” shall be substituted and for the word and figure “Form 19”, the words, figures and letter “Form 19 or Form 19-A” shall be substituted.

(3) In rule 82, for the words and figures “Form 20, 21, 22 or 23” the words, figures and letters “Form 20 or 20-A, 21 or 21-A, 22 or 22-A or 23 or 23-A” shall be substituted.

(4) In rule 84, -

- (i) in sub-rule (1), for the words and figures “Form 16, 17, 18 or 19” the words, figures and letters “Form 16 or 16-A, 17 or 17-A, 18 or 18-A or 19 or 19-A” shall be substituted and for the words and figures “ Form 20, 21, 22 or 23” the words, figures and letters “Form 20 or 20-A, 21 or 21-A, 22 or 22-A or 23 or 23-A” shall be substituted ;
- (ii) in sub-rule (2), for the words and figures “Form 20, 21, 22 or 23”, the words, figures and letters “Form 20 or 20-A, 21 or 21-A, 22 or 22-A, or 23 or 23-A” shall be substituted;
- (iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-  
“(3) Nothing in sub-rule (1) shall confer any power or authority upon the District Election officer to open any envelope containing counted ballot papers or to direct recounting of votes or recounting of votes by detachable memory module (DMM).”.

(5) In rule 86, for the words and figures “Rules 67 and 68”, the words, figures and letters “Rules 67, 72-P, 86 and 72-R”, shall be substituted;

(6) In rule 88, for the word and figure, “Rule 87” the word, figure and letter, “Rule 87 and 72-R” shall be substituted.

(7) In form 16 A, below the table,-

- (i) for item (a), the following item shall be substituted, namely :-  
“(a) Number of under votes.”.
- (ii) for item (b), the following item shall be substituted, namely:-  
“(b) Number of unfinished voters.”.

(8) In form 17 A, below the table,-

- (i) for item (a), the following item shall be substituted, namely :-  
“(a) Number of under votes.”.
- (ii) for item (b), the following item shall be substituted, namely:-  
“(b) Number of unfinished voters.”.

(9) In form 18 A, below the table,-

- (i) for item (a), the following item shall be substituted, namely :-  
“(a) Number of under votes.”.
- (ii) for item (b), the following item shall be substituted, namely:-  
“(b) Number of unfinished voters.”.

(10) In form 19 A, below the table,-

- (i) for item (a), the following item shall be substituted, namely :-  
“(a) Number of under votes.”.
- (ii) for item (b), the following item shall be substituted, namely:-  
“(b) Number of unfinished voters.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.